राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक – स.3(14) (1)वरिष्ठता / च.श्रे. / अभि. / 19 / 7297-335 दिनांक 15/5/19

प्रेषित –

समस्त उप निदेशक अभियोजन / सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान ।

विषयः– दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में च.श्रे.कर्म. की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची के संबंध में।

–0–

विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के च.श्रे.कर्म. की दिनांक 01–04–2019 की स्थिति को दर्शाते हुये प्रोविजनल वरिष्ठता सूची पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । इस पर निम्न बिन्दुओं के अनुरुप कार्यवाही कर पत्र जारी होने की दिनांक से 7 दिवस के अन्दर अन्दर निदेशालय को सूचना प्रेषित करें ।

1. आपके अधीनस्थ समस्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को प्रोविजनल वरिष्ठता सूची उपलब्ध करावें यदि आपत्ति हो तो आपत्ति प्राप्त कर निदेशालय को प्रेषित करें।
2. प्रोविजनल वरिष्ठता सूची के प्रत्येक कॉलम का रिकार्ड के आधार पर सत्यापन कर यदि आवश्यक हो तो अपेक्षित संशोधन के पश्चात इस आशय का प्रमाण पत्र प्रेषित करें । सूची में अंकित समस्त कॉलम में अंकित सूचना सही है ।
3. यदि किन्हीं च.श्रे.कर्म. के द्वारा राज्य सेवा में आने के पश्चात **सैकेण्डरी / सीनियर सैकण्डरी / कम्प्यूटर** डिप्लोमा किस वर्ष में उत्तीर्ण की गई है, विभागीय अनुमति के आदेश की प्रति **सैकेण्डरी / सीनियर सैकण्डरी / कम्प्यूटर** डिप्लोमा की उत्तीर्ण की अंक तालिका की प्रमाणित फोटो प्रति प्रेषित करें ।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावें ।

संलग्नः– प्रोविजनल वरिष्ठता सूची

(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर